



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं./78/2020-713

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना-14, दिनांक-11/08/2021

विषय : मधेपुरा एवं सहरसा जिलान्तर्गत NH-106 (उदाकिशुनगंज-मधेपुरा) एवं NH-107 (मधेपुरा-सहरसा) पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.22603 हे० वन भूमि "मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०, पटना" के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक वन भूमि 24/2012 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयाधीन प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.11.2014 एवं दिनांक 27.07.2020 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1371 दिनांक 19.12.2018 के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 1322 (ई०) दिनांक 08.12.2020 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति संसूचित करने हेतु सहमति प्रदान की गयी थी।

तदालोक में इस कार्यालय के पत्रांक व.सं./78/2020-1135 दिनांक 11.12.2020 द्वारा विषयाधीन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में लगाये गये शर्तों के आलोक में कार्यकारी निदेशक (निर्माण), इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०, पटना के पत्र दिनांक 08.02.2021 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा का पत्रांक 669 दिनांक 24.04.2021 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्नवत है-

क्रम सं०	Stage-I में अधिरोपित शर्त	अनुपालन स्थिति
1	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि के वैधानिक स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2	अपयोजित होने वाली 1.22603 हे० वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत 6.26 लाख रु० प्रति हे० की दर पर कुल रु० 7,67,495/- की 50% राशि रु० 3,83,748/- (रुपये तीन लाख तिरासी हजार सात सौ अड़तालीस) मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 1.22603 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये राशि रु० 3,83,748/- (रुपये तीन लाख तिरासी हजार सात सौ अड़तालीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	NPV मद की कुल राशि रु० 3,83,748/- (रुपये तीन लाख तिरासी हजार सात सौ अड़तालीस) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV मद की कुल राशि रु० 3,83,748/- (रुपये तीन लाख तिरासी हजार सात सौ अड़तालीस) मात्र को Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No. SBIN321035116623 दिनांक 04.02.2021 है।
4	उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गयी राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के e-portal पर प्रदर्शित हैं, साथ ही जमा की गयी राशि की UTR की मूलप्रति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
6	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
7	वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन भूमि से मिट्टी या कोई अन्य Material नहीं लिया जायेगा और न ही कचड़े आदि का Disposal वन भूमि पर किया जायेगा।
8	भूमि की सतह से पाईपलाइन 1.5 मीटर नीचे बिछाई जायेगी। पाईपलाइन बिछाने के बाद भूमि को समतल किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन हेतु सहमति प्रदान की गयी है।
9	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर यथा संभव तकनीकी रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा से परामर्श प्राप्त कर उनके निर्देशन में परियोजना स्थल के आस-पास यथा संभव उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन हेतु सहमति प्रदान की गयी है।

10	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-II स्वीकृति के पूर्व जिला पदाधिकारी, मधेपुरा एवं सहरसा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 669 दिनांक 24.04.2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं मधेपुरा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जो इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
11	वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
12	वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
13	वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
14	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
15	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
16	यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
17	उपभोक्ता अभिकरण [इस मामले में मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०, पटना] अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।

विभागीय पत्रांक वन भूमि 24/2012 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि सामान्य स्वीकृति के तहत चिन्हित कार्य हेतु वन भूमि अपयोजन के मामलों में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा अपयोजन आदेश निर्गत किया जायेगा।

Laying of underground CNG and PNG पाईप लाईन अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

तदआलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन पर अधोहस्ताक्षरी के अनुशंसा के साथ इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय ताकि नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-II की स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा सके।

अनु०—यथोक्त।

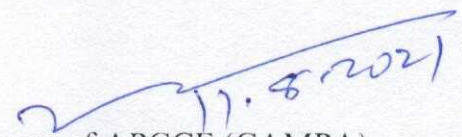
विश्वासभाजन

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Regional Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/ Saharsa & Madhepura and Saharsa Forest Division, Saharsa				
3	Name of User Agency nature of proposal	The General Manager, Indian Oil Corporation Ltd, Patna, Bihar				
4	Extent of forest area involved	1.22603 ha				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	NA				
7	Date of 1st stage Clearance	11/12/2020				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation					
	b. Additional CA					
	c. Penal CA					
	d. Catchment Area Treatment					
	e. Wildlife Management Plan					
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas					
	g. Net present Value	3,83,748/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)					
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9	S.No	MODE Remtt.	UTR No. and Dated	Amount	Head
		1	RTGS	SBIN321035116623 dt. 04.02.2021	3,83,748/-	NPV
		TOTAL			3,83,748/-	
10	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 04.02.2021				
11	Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 04.02.2021				
12	Any other remarks					


 Signature of APCCF (CAMPA),
 -Cum-Nodal Officer (FC)